

प्रेषक,
जनपद न्यायाधीश,
अम्बेडकरनगर।
सेवा में,
श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

पत्रांक- 669/11/11 जिला जज/अम्बेडकरनगर/दिनांक- 06.06.2020

विषय: पत्र संख्या: 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad / दिनांकित 20-05-2020 के माध्यम से निर्गत निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या: 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित: 20-05-2020 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या:1149 /जे०ए०/कोविड-19/न्याया०परि०सेनी०-साफ सफाई/2020 दिनांकित 06-06-2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्पूर्ण जनपद अम्बेडकरनगर परिक्षेत्र को "ऑरिन्ज जोन (Orange Zone)" में रखा गया है तथा जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन (Containment Zone) में नहीं आता है।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में "ऑरिन्ज जोन" के अन्तर्गत आने वाले न्यायालयों के संचालन हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:-

1. जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायालय खुलने के पूर्व न्यायालय परिसर का सैनिटाइजेशन होने के उपरान्त ही न्यायालय का संचालन किया गया है।
2. न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर, मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा एक चिकित्सक की नियुक्ति की गयी है, जिसके द्वारा न्यायालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग करने के उपरान्त ही उन्हे न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है।
3. समस्त संचालित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा उनके न्यायालयों में कृत कार्य/निस्तारित प्रार्थना-पत्रों की संख्या प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में, प्रत्येक कार्य दिवस का विवरण वेब पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है।
4. कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा विद्वान अधिवक्तागण को ई-कोर्ट एप्प के परिचालन हेतु अवगत कराया जा रहा है, जिसके जरिये वह अपने-अपने केस की यथास्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें।
5. माननीय उच्च न्यायालय के दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर हेतु एक अधिकृत ई-मेल आई.डी.- courtapp@gmail.com तैयार किया गया है, जिसकी सूचना अधिवक्ता संघ के माध्यम से अधिवक्तागण के मध्य परिचालित करते हुये उक्त ई-मेल आई.डी. का प्रयोग जमानत प्रार्थना-पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र, अन्य आवश्यक प्रार्थना-पत्र एवं लिखित बहस प्राप्त करने के लिये किया जा रहा है, किन्तु अधिवक्तागण द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरान्त भी उपरोक्त ई-मेल आई.डी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस अधिष्ठान हेतु हेल्प-लाइन नम्बर-9415689298 जारी किया गया है। जिसका प्रयोग उपरोक्त न्यायालयों के संचालन हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।


आख्या माननीय महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

दिनांक: 06-जून-2020

संलग्नक: यथोपरि।

सन्धि,

भवदीय,


(अमरजीत त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

संख्या-1149/जे0ए0/कोविड-19/न्याया0 परि0सेनी0-साफ सफाई/2020 दिनांक- 06 जून 2020

विषय- माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1091/IV-CPC/Courts/Allahabad/दिनांक 05.05.2020 के अन्तर्गत लाकडाउन अवधि एवं उसके उपरान्त न्यायालयों को दिनांक 08.05.2020 से खोले जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वांछित विन्दुओं पर सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

सेवा में,

मा0 जनपद न्यायाधीश,
जनपद-अम्बेडकरनगर।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 595/XV/6A/DJ/ABN/ दिनांक 08.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1091/IV-CPC/Courts/Allahabad/दिनांक 05.05.2020 के अन्तर्गत लाकडाउन अवधि एवं उसके उपरान्त न्यायालयों को दिनांक 08.05.2020 से खोले जाने हेतु दिये गये निर्देशों के आलोक में जनपद अम्बेडकरनगर में कोविड-19 महामारी के संक्रमण के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत है-

- 1- जनपद अम्बेडकरनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र "ओरेन्ज जोन" में रखा गया है।
- 2- जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 05.06.2020 तक कुल कोरोना वायरस के 82 मरीज पाये गये हैं।
- 3- जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन (Containment Zone) में नहीं आता है।



प्रभारी अधिकारी,
नियन्त्रण कक्ष,
अम्बेडकरनगर।

0
Seen, K.O.F.


A.J.
ABN
06.06.2020